

आदेश

मुख्य आरक्षी 800790138 प्रो० ना०पु० चन्द्र प्रकाश शुकला को जनपद लखनऊ से अनुकम्पा के आधार पर सतर्कता अधिष्ठान उ०प्र० लखनऊ निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: कार्यवृत्त सूची संख्या: एसपी-ई-1(जनरल)-135/2016 दिनांक: 07-04-2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।


(अनिल कुमार) 7/4/16

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना,
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
संख्या:- डीजी-चार-स्था०-135/2016/466 दिनांक: मार्च, 7 2016

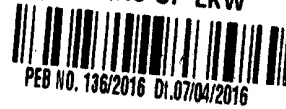
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, सतर्कता अधिष्ठान उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बंधित को अवगत कराते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो सम्बंधित कर्मी को आगमन न कराते हुए तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1 पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2 अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3 पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।
- 4 अनुभाग अधिकारी-चार मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को अभिलेखार्थ।



आदेश

आरक्षी ना0पु0 250/902610374 ना0पु0 राजित राम गुप्ता जीआरपी अनुभाग इलाहाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक, रेलवे इलाहाबाद के आदेश संख्या:त-16/2014 दिनांक:08-12-2015 द्वारा गहन जनपद प्रतापगढ़ वापस किये जाने विषयक निर्गत आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या: 7360/2016 राजितराम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक:18-02-2016 को सुनवाई के उपरान्त याचिका अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये याची के प्रत्यावेदन पर विपक्षी संख्या-2 Additional Inspector General of Police (Karmik), U.P., Lucknow को एक माह में निर्णय लिये जाने का आदेश दिया गया है, जबकि उ0प्र0 पुलिस विभाग में Additional Inspector General of Police (Karmik), U.P., Lucknow का कोई पद विद्यमान नहीं है। मा0 न्यायालय के निष्पत्ति के प्रभावी अंश निम्नवत है :-

Heard.

This petition has been filed seeking quashment of order dated 8.12.2015 whereby petitioner has been transferred from GRP, Allahabad to Civil Police, Pratapgarh.

It is submitted by petitioner's counsel that petitioner joined GRP in the month of September, 2011. He spent 3 years there but on account of accident in year 2013, petitioner has become physically disabled. It is difficult for him to discharge duties at the proposed place of posting. He moved representation on 15.12.2015 which was forwarded to D.I.G. Headquarter but no order seems to have been passed on the representation of the petitioner. Petitioner has placed Govt. Order of 2003 which provides exemption from transfer to disabled persons petitioner does not appear to be transferred for any special reason. Representation of petitioner is pending with respondent no.2.

In view of above, I direct Additional Inspector General of Police (Karmik), U.P., Lucknow to pass appropriate order on the representation of petitioner within a period of one month from today.

For a period of one month, petitioner's transfer will remain in abeyance.

Standing counsel will also communicate order.

Writ petition stands disposed of accordingly.

2. उपरोक्त सम्बन्ध में याची आरक्षी ना0पु0 राजित राम गुप्ता, का पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 को सम्बोधित दिनांक रहित, हस्ताक्षर रहित प्रत्यावेदन अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 के पत्र संख्या:पीआर-17-19/2016(1075) दिनांक:04-03-2016, पुलिस अधीक्षक, रेलवे इलाहाबाद के पत्र संख्या:अ-32/2016 दिनांक:01-03-2016 व सीधे ई-सूचि मुख्यालय में भी प्राप्त हुआ है, जिसके साथ याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित याचिका में उल्लिखित पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांकित: 15-12-2015 की प्रति संलग्न किया गया है, जिसमें याची द्वारा राजकीय कार्य सम्पादन के दौरान दुर्घटना हो जाने के कारण दाहिना पैर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण विकलांग हो जाने, इलाज डा0 कुलदीप गुप्ता, कृष्णा परिवर्तन प्लास्टिक सर्जन क्लीनिक इलाहाबाद से चलने के दृष्टिगत 06 वर्ष की अवधि तक के लिये स्थानान्तरण स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. प्रश्नगत प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 के पत्र संख्या: पीआर-17-19/2016(1319) दिनांक: 22-03-2016 के माध्यम से प्राप्त आख्या/विवरण के अवलोकन से पाया गया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के आदेश संख्या: पांच-1003-2011/10004 दिनांक: 21-08-2011 द्वारा याची कान्स0 250/902610374 राजित राम गुप्ता को जनपद प्रतापगढ़ से तीन वर्ष के लिये राजकीय रेलवे पुलिस हेतु स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के आदेश संख्या: पीआर/13-10/2011(14721) दिनांक:13-09-2011 द्वारा याची आरक्षी ने जीआरपी अनुभाग इलाहाबाद में दिनांक: 16-09-2011 को आगमन किया है। अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/कानून व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में राजकीय रेलवे पुलिस तथा विपरीत क्रम में स्थानान्तरण नीति हेतु आहूत बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-03 में इच्छुक कर्मी 03 वर्ष से ज्यादा अधिकतम 06 वर्ष तक यदि राजकीय रेलवे पुलिस में रहना चाहे तो उनके कार्य-आचरण की रिपोर्ट जीआरपी मुख्यालय से स्थापना शाखा को प्राप्त होने के पश्चात जीआरपी में रहने संबंधी आदेश पारित कर दिया जायेगा, परन्तु यह अवधि 06 वर्ष से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। राजकीय रेलवे पुलिस में स्वीकृत नियतन 4029 के सापेक्ष 4350 आरक्षी नियुक्त हैं। याची आरक्षी जनपद



प्रतापगढ़ से राजकीय रेलवे पुलिस हेतु स्थानान्तरण पर आया है, जो जनपद प्रतापगढ़ में नियुक्त रहकर अपना इलाज एवं बच्चों का शिक्षण सम्बन्धी कार्य करा सकता है। जीआरपी में आरक्षियों को वरिष्ठता कम में उनके गहन जनपद वापस किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।

4. याची आरक्षी ना0पु0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में अंकित तथ्यों एवं राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 से प्राप्त आख्या के परिशीलन से पाया गया कि उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांकित: 21-08-2011 द्वारा याची आरक्षी को तीन वर्ष के लिये जनपद प्रतापगढ़ से राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0 हेतु स्थानान्तरित किया गया था, जो दिनांक: 16-9-2011 से राजकीय रेलवे पुलिस अनुभाग इलाहाबाद में कार्यरत है। इस प्रकार याची का राजकीय रेलवे पुलिस हेतु निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक: 15-09-2014 में पूर्ण हो चुका है, जिसे पुलिस अधीक्षक, रेलवे इलाहाबाद के आदेश संख्या:त-16/2014 दिनांक:08-12-2015 द्वारा गहन जनपद प्रतापगढ़ कार्यमुक्त किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। याची सम्प्रति राजकीय रेलवे पुलिस से कार्यमुक्त नहीं हुआ है तथा राजकीय रेलवे में अब तक लगभग साढ़े चार वर्ष पूर्ण कर चुका है। याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन में डा0 कुलदीप गुप्ता, कृष्ण परिवर्तन प्लास्टिक सर्जन क्लीनिक इलाहाबाद से चलने का तथ्य अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक रेलवे इलाहाबाद के पत्र दिनांकित: 16-03-2016 व 31-03-2016 में अंकित तथ्यों के अनुसार याची आरक्षी का सड़क दुर्घटना के कारण एक पैर कट जाने एवं प्रार्थना पत्र में अंकित समस्या उचित प्रतीत होने का तथ्य अंकित किया गया है।

5. अतएव आरक्षी ना0पु0 250/902610374 ना0पु0 राजित राम गुप्ता, जीआरपी अनुभाग इलाहाबाद के प्रत्यावेदन पर "पुलिस स्थापना बोर्ड" द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यवृत्त संख्या: एसपी-ई-1(जनरल)136/2016 दिनांक: 07-04-2016 में लिये गये निर्णय के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से राजकीय रेलवे पुलिस में एक वर्ष तक बनाये रखने का आदेश पारित किया जाता है। याची का प्रत्यावेदन एतद्वारा निरस्तारित किया जाता है।

(राकेश चन्द्र सोह)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था-(136)2016/467

दिनांक:अप्रैल, 7 2016

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 3- पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस अनुभाग-इलाहाबाद-को तीन प्रतियों में सूचनार्थ एवं इस आशय से कि एक प्रति आरक्षी ना0पु0 राजित राम को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति का हस्ताक्षर मय दिनांक लेकर इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़।
- पंजीकृत- 5- श्री राजित राम, आरक्षी ना0पु0 निवासी 13 ए, जीआरपी कालोनी, राम बाग, जनपद लाहाबाद को सूचनार्थ।

आदेश

निम्नलिखित आरक्षियों को अनुकम्पा के आधार पर उनके नियुक्ति जनपद से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर उनके निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एसपी-(ई-1)-(जनरल)-138/2016 दिनांक: 07-04-2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

क.सं.	पदनाम/पीओएनओ नं०	कहाँ से	कहाँ को
1	आरक्षी 1911/112022378 रविन कुमार	जनपद अलीगढ़	जनपद मुरादाबाद
2	आरक्षी 972730253 राजकुमार यादव	जनपद मऊ	जनपद फतेहपुर
3	आरक्षी 892110405 रघुराज सिंह	जनपद उन्नाव	सतर्कता अधिष्ठान, 30प्र० लखनऊ

(अनिल कुमार) 24/11/16

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना,
नि० पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
30प्र० लखनऊ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:-डीजी-चार-स्था०-(138)-2016/ 468

दिनांक:लखनऊ:अप्रैल 7, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़/मऊ/उन्नाव को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, 30प्र० लखनऊ एवं वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद मुरादाबाद/फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मियों के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो सम्बन्धित कर्मियों को आगमन न कराते हुए तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, 30प्र०, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, 30प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, 30प्र० लखनऊ।
- 4- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-चार, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, 30प्र०, लखनऊ।



आदेश

उपनिरीक्षक 012290462 ना0पु0 पीयूष दीक्षित को जनपद गौतमबुद्धनगर से अनुकम्पा के आधार पर उनके निजी व्यय पर लखनऊ जोन स्थानान्तरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एसपी-(ई-1)-(जनरल)-138/2016 दिनांक: 07-04-2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

(अनिल कुमार) 7/4/16

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना,
नि0 पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:-डीजी-चार-स्था0-(138)-2016/469

दिनांक:लखनऊ:अप्रैल 7, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मियों के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो सम्बन्धित कर्मियों को आगमन न कराते हुए तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ।
- 5- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-चार, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।



आदेश

आरक्षी 732/972462660 सन्तोष कुमार सिंह को जनपद खीरी से अनुकम्पा के आधार पर वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। 02 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा के इन्हें इनके गहन जनपद के लिये वापस कर दिया जाये। इनका गृह जनपद फैजाबाद है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एसपी-(ई-1)-(जनरल)-138/2016 दिनांक: 07.04.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।


 (अनिल कुमार) 7/4/16

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना,
 नि० पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक,
 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
 उ०प्र० लखनऊ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:-डीजी-चार-स्था०-(138)-2016/470

दिनांक:लखनऊ:अप्रैल 7, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद खीरी को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो सम्बन्धित कर्मी को आगमन न कराते हुए तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-चार, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।